

FORM No. III  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

अज अदालत... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... टोंक.....

..... जगदीश जाट..... बनाम..... रामदेवा जाट.....

किस्म मुकद्दमा..... दावा उद्घोषणा..... नं..... 28..... सन्..... 2018.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुकम की तामील में जारी हुए
02.04.18	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा, दुरुरती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन मय नकल तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.04.2018 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">- <u>Final</u> उपखण्ड अधिकारी टोंक</p>	<p>50 971-72 5-4-18</p>
30/4/18	<p>पत्रावली पेश हुई. पीठासीन अधिकारी सा. प्रतिवादी की अस्थायी विनाइडी की तलबी ग्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में थस्त है। पत्रावली गत आदेशिका की फलना में आगामी दिनांक 28/5/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">- <u>Final</u> उपखण्ड अधिकारी टोंक</p>	
30/4/18	<p>वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप. अनु. पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा.पं. में दिनांक 28/5/2018 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी, टोंक</p>	
28/5/2018	<p><del>पत्रावली का प्रमाण लोकर अदालत के सम्मुख पेश करने के पेश हुई परामारान उ. प्रतिवादी ने कही है कि इस में इस कालिका एवान डाना पेश किया। परामारान तथा इस प्रकार के उतरा से जमान कलम के लिए कलम परामारान की खुना तथा पत्रावली पर उपस्थित इत्यादि का ध्यान पूर्वक मालूम किया गया। वारी का कस स्वीकार किया है।</del></p> <p>मतः कस वारी स्वीकार किया जाता है तथा</p>	<p>जगदीश रामदेव उपखण्ड</p>
		<p>उपखण्ड अधिकारी टोंक (राजग)</p>

